


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं० 204] नई दिल्ली, शनिवार, जून 23, 1979/आषाढ़ 2, 1901
No. 204] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 1979/ASADHA 2, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके :

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

नाँवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधीनस्थान

नई दिल्ली, 23 जून, 1979

सा. का. तन. 398 (अ).—मैजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की
उपधारा (6) के साथ पठित उसी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा दी गयी
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार श्री रविन्द्र पी. पटेल को गांधीधाम चैम्बर
आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए काण्डला पोर्ट ट्रस्ट के बोर्ड आफ
ट्रस्टीज के निर्वाचित ट्रस्टी के रूप में घोषित करती है और भारत सरकार के नाँवहन

और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं. जीएसआर-300(ई), दिनांक 31-3-79 से निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 15 और तद्व्यतिरीक प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियाँ रखी जाएँ, अर्थात् :—

“10. श्री रविन्द्र पी. पटेल—गांधी धाम चैम्बर आफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री, गांधाधाम का प्रतिनिध ।”

[फा. सं. पीटीबी-41/78]

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd June, 1979

G.S.R. 398(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), read with sub-section (6) of the said section, the Central Government hereby notifies the name of Shri Ravindra P. Patel as elected to be a Trustee, representing the Gandhidham Chamber of Commerce and Industry, on the Board of Trustees of the Port of Kandla, and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 300(E), dated the 31st March, 1979, namely :—

In the said notification, after Serial Number 15 and the entries relating thereto, the following Serial Number and entry shall be inserted, namely :—

“16. Shri Ravindra P. Patel—Representing the Gandhidham Chamber of Commerce and Industry, Gandhidham.”

[F. No. PTB-41/78]

D. K. JAIN, Jt. Secy.